

# जिला अलवर यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर

इस हुक्म  
जारी हुए

दिनांक

2/126A/2022

तारीख रजु 27/5/22

संजय वगैरा बनाम संतोष वगैरा

मुख्य हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

27.05.2022

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 486, 488, 492, 497, 610, 611, 613, 614, 1182, 1209, 1210, वाके ग्राम सौखरी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की बथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।

अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 10.06.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 10.06.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर)

10.6.22

अवकाश पत्र है। आज बार एको. ने काबं  
बसिब कर रखा है। P.O साहू अ-प्रकार  
। पत्रावली दिनांक 20/6/22 को पेश हो

20/6/22

वकील सायल  
27.5.22  
रजु 23/6/22

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

4/1/24

वकूलाप उपरिष्कार। अंतः प्राप्ति अपने घर  
 पर 212/2008 को साबित करने में असमर्थ  
 रहे हैं। अतः प्राप्ति का घर नं. - 212/2008  
 साबित ना होने के कारण अस्कीको कर खासि  
 किया जाता है। कब्रवाली पर जारी रहे आदेश  
 दिनांक 27.5.22 के अंतर्गत किया जाता है। मि.  
 विवेक प्रथमले लिखा जाता जाकर 2120 मि.  
 किया गया। कब्रवाली को 100 रुमा होकर  
 नम्बर से कम हो कर नकली 200 रुमा के  
 साथ-सर्वेक्षण से अनुमान 5/1/24

उपखण्ड अधिकारी  
 कठूमर (अलवर)